कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 37/2018 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री ललित कुमार चढढा, 02/77 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी
हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ।

---अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ।

---प्रत्यार्थी

आदेश दिनांक---16.10.2018

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ के विरूद्ध प्राप्त हुई।

अपीलार्थी द्वारा अपील में अंकित किये गये तथ्यो के अनुसार जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ से कोई सूचना प्राप्त नही होने पर अपीलार्थी द्वारा रिकार्ड का अवलोकन व निरीक्षण करवाने हेतु यह अपील की गई है।

अपीलार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ के पत्र क्रमांक 3034 दिनांक 28.06.2018 का अवलोकन करने से उनके द्वारा पत्रांक 3033 दिनांक 28.06.2018 से अपीलार्थी को दिनांक 07.07.2018 के बाद कार्यालय समय में उपस्थित होकर पत्रावलियो का अवलोकन कर चाही गई सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा जाना पाया गया। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देश दिया जाता है कि वे अपीलार्थी को वांछित रिकार्ड का नियमानुसार अवलोकन व निरीक्षण करवाया जावे तथा रिकार्ड का अवलोकन व निरीक्षण के पश्चात अपीलार्थी द्वारा जो सूचना चाही जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत वांछित सूचना नियमानुसार आदेश प्राप्ति के पश्चात 15 दिनो के अन्दर उपलब्ध करवाई जावे। अपीलार्थी की वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निर्णित की जाती है। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official